कार्यालय : जिला परिषद्, औरंगाबाद।

सेवा निवृत कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु आम सूचना

पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–11868 / पं0रा0, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में जिला परिषद कार्यालय, औरंगाबाद अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध पर संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार / जिला परिषद / बोर्ड / निगम / लोक उपक्रम से सेवानिवृत सहायक अभियन्ता, कनीय अभियन्ता एवं लिपिक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	पदनाम	रिक्त की स्थिति	कोटि	अभ्युक्ति
1	सहायक अभियन्ता	01	01 सामान्य	
2	कनीय अभियन्ता	02	01 सामान्य 02 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
3	लिपिक	02	01 सामान्य 02 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	

आवेदन पत्र दिनांक– 30 / 11 / 2023 तक जिला परिषद कार्यालय, औरंगाबाद में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार है:–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवकों का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमती से 65 वर्ष क बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परन्तु वैसे पदों जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु भी 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्ति सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य पत्र आवश्यक होगा।
3. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
4. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
6. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड / निगम / लोक-उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद / समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का आरंभिक वेतन / वेतन स्तर (Pay Level) का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

7. पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक–11868, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में जिला परिषद औरंगाबाद से सेवानिवृत कर्मियों का आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।
8. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवाओं की भाती क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगी।
9. नियोजित संविदा कर्मियों को जिला परिषद के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा जिसमें नियम शर्त्त रहेगी।
10. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।
11. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

सo/-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, औरंगाबाद।

ज्ञापांक–541/जि0प0, दिनांक– 01-11-2023

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।
प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि आम सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करेंगें।
प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु समर्पित।

1.11.23

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, औरंगाबाद।